



सूचना प्रौद्योगिकी नयिमों का मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर 'गैरकानूनी' जानकारी उपलब्ध कराने वाले 'प्रवर्तक' का पता लगाने और ऐसी सूचनाएँ अधिसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं, का मसौदा जारी किया है।

- उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज/व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइटों के जरिये फैलाई गई अफवाहों के कारण 2018 में मॉब लचिगी की अनेक घटनाएँ हुईं।
- यह मसौदा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सरकार को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे यौन दुरव्यवहार संबंधी ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशन और इनके प्रसार से निपटने के लिये दशिया-नरिदेश या मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) तैयार करने के लिये मंजूरी दी गई थी।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

- सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी कानून), 2000 को इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को प्रोत्साहित करने, ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजेक्शन के लिये कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई-शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करने के लिये अमल में लाया गया था।
- यह कानून 17 अक्टूबर, 2000 को लागू किया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुच्छेद 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थाओं को देनदारी से छूट के बारे में वसितार से बताया गया है। अनुच्छेद 79(2)(c) में जिक्र किया गया है कि मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने करतव्यों का पालन करते हुए उचित तत्परता बरतनी चाहिये और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दशिया-नरिदेशों का भी पालन करना चाहिये। तदनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशिया-नरिदेश) नियम, 2011 को अप्रैल-2011 में अधिसूचित किया गया।

2011 के नयिमों के स्थान पर नए नयिम

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2011 में अधिसूचित नयिमों के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशिया-नरिदेश) नियम, 2018 का मसौदा तैयार किया। जिस पर वचिर-वमिरश की प्रक्रिया चल रही है।
- वभिन्न मंत्रालयों के बीच और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/फेसबुक, गूगल, ट्विटर, याहू, वॉट्सएप और मध्यवर्ती संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य एसोसिएशन जैसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI), सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ISPAI) जैसे प्लेटफॉर्मों सहित अन्य साझेदारों के साथ वचिर-वमिरश के बाद जनता से सुझाव आमंत्रित करने हेतु मसौदा जारी किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यवर्ती संस्थानों के लिये (संशोधन) दशिया-नरिदेश] नियम, 2018 के अंतरगत प्रमुख प्रावधान

केंद्र द्वारा तैयार किये SOP मसौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिये नमिनलखित प्रावधान हैं-

- सामग्री को हटाने के लिये सक्रिय नगिरानी उपकरण स्थापित करना।
- गैरकानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के लिये विश्वसनीय फ्लैगर्स (flaggers) की तैनाती।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिये 24x7 तंत्र स्थापित करना।
- पूरे भारत में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना।
- प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री उपलब्ध कराने वाले को ट्रेस करने की सुविधा।
- साइबर सुरक्षा से संबंधी घटनाओं को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के साथ दर्ज करना।
- किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी को 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना।

संवधान के तहत नागरिकों को प्राप्त है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- सरकार भारत के संवधान में प्रदत्त अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति तथा नजिता की आज़ादी देने के लिये प्रतबिद्ध है। इसलिये सरकार अभी तक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर प्रकाशति होने वाली सामग्री को नयित्त्रति नहीं करती।
- हालाँकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 में अधिसूचति नयिम के अनुसार, सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म को यह सुनश्चति करना आवश्यक है कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हसिा और अपराध के लिये नहीं कयिा जाता है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती

- अपराधियों और राष्ट्र वरिधी तत्त्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
- सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आतंकवादियों की भरती के लिये प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, हसिा भड़काना, फेक न्यूज़ आदि शामिल हैं।

स्रोत : पी.आई.बी एवं द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-it-rules-issued>

